

**न्यायालय :- श्रीष कैलाश शुक्ल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर,  
जिला-बालाघाट (म.प्र.)**

आप. प्रक. क.-94 / 2016

संस्थित दिनांक-05.02.2016

फाईलिंग नं.-234503000992016

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-रूपझर,  
जिला-बालाघाट (म.प्र.)

----- अभियोजन

// **विरुद्ध** //

उमाकान्त पिता रामकिशोर गौतम, उम्र-24 साल,

निवासी ग्राम सोनेवानी थाना रूपझर जिला बालाघाट (म.प्र.)

----- आरोपी

// **निर्णय** //

**(आज दिनांक-20/07/2016 को घोषित)**

1- आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 338 के तहत आरोप है कि उसने दिनांक-12.01.2016 को शाम 5:30 बजे ग्राम ईरली मेन रोड में अंतर्गत पुलिस चौकी सोनेवानी, थाना रूपझर में लोकमार्ग पर टाटा सुमो क्रमांक एम.पी. 09/के.डी.-2700 को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया तथा उक्त वाहन को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर आहत समीम उर्फ शम्मी खान को चोट पहुँचाकर उसके दाहिने पैर में अस्थिभंग कर स्वेच्छया उपहति कारित किया।

2- अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि पुलिस चौकी सोनेवानी में पदस्थ सहायक उपनिरीक्षक राजकुमार हिरकने को अस्पताल से तहरीर प्राप्त हुई थी जिसकी जाँच में आहत शमीम एवं अब्दुल के कथन लेख किए गए। जाँच में जानकारी हुई कि घटना दिनांक 12.01.2016 को आहत शमीम ने सोनेवानी से मोटर सायकिल से भरवेली जा रहा था तभी सुमो वाहन क्रमांक एम.पी.09/के.डी.-2700 के चालक ने वाहन को लापरवाहीपूर्वक चलाकर आहत की मोटर सायकिल को टक्कर मार दिया जिससे उसके दाहिने पैर में चोट आई थी। उपरोक्त आधार पर अपराध क्रमांक-14/2016, भा.द.वि. की धारा-279, 337 एवं धारा 184 मो.व्ही.एक्ट के तहत पंजीबद्ध किया गया। विवेचना दौरान आहत की एक्स-रे रिपोर्ट आने पर आहत को अस्थिभंग होने से धारा 338 भा0द0वि0 का इजाफा किया गया। पुलिस द्वारा आहत का मेडिकल परीक्षण कराया गया, पुलिस ने अनुसंधान के दौरान घटनास्थल का मौका

नक्शा बनाया, गवाहों के कथन लेखबद्ध किये गये तथा आरोपी से घटना में प्रयुक्त वाहन की जप्ती गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3— आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 338 के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। विचारण के दौरान फरियादी/आहत शमीम खान ने आरोपी से राजीनामा किया। अतः आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-338 के अपराध से दोषमुक्त किया गया तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279 के शमनीय न होने से विचारण किया गया।

4— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

1. क्या आरोपी ने दिनांक-12.01.2016 को शाम 5:30 बजे ग्राम ईरली मेन रोड में अंतर्गत पुलिस चौकी सोनेवानी, थाना रूपझर में लोकमार्ग पर टाटा सुमो क्रमांक एम.पी.09/के.डी.-2700 को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ?

#### विचारणीय बिन्दु का निष्कर्ष :-

5— फरियादी/आहत शमीम खान(अ.सा.1) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कहा हैं कि वह आरोपी उमाकान्त को जानता है। घटना उसके कथन से लगभग 06 माह पूर्व की है। वह अपने वाहन से सोनेवानी से भरवेली जा रहा था तभी उसकी एक सुमो वाहन से दुर्घटना हो गई जिससे उसे चोट आई थी। पुलिस ने उसके कथन दर्ज किये थे। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया है कि दिनांक-12.01.2016 को आरोपी उमाकान्त ने अपने सुमो वाहन क्रमांक-एम.पी.09/के.डी.2700 को लापरवाहीपूर्वक खतरनाक तरीके से चलाकर उसकी मोटर सायकिल को टक्कर मार दी थी। साक्षी ने इस बात से भी इन्कार किया है कि जिससे उसके पैर की हड्डी टूट गई थी। साक्षी ने प्र.पी.02 का बयान पुलिस को लेख नहीं कराना व्यक्त किया है। साक्षी ने इस बात से भी इन्कार किया है कि राजीनामा हो जाने से वह न्यायालय में सही बात नहीं बता रहा है।

6— फरियादी एवं आरोपी के मध्य पूर्व में ही राजीनामा हो जाने से आरोपी को भा0द0वि0 की धारा 338 के अपराध से दोषमुक्त किया जा चुका है।

7— प्रकरण में अभियोजन द्वारा घटना के संबंध में फरियादी/आहत समीम(अ.सा.1) का न्यायालयीन परीक्षण कराया गया जिसमें उसने स्वयं यह कहा है कि घटना दिनांक को आरोपी द्वारा वाहन सुमो क्रमांक-एम.पी.09/के.डी.2700 को उतावलेपन व उपेक्षापूर्वक नहीं चलाया जा रहा था। ऐसी स्थिति में आरोपी द्वारा

भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279 के अन्तर्गत अपराध किया जाना सन्देह से परे प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

8— उपरोक्त संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोजन अपना मामला युक्ति-युक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर वाहन सुमो क्रमांक-एम.पी.09/के.डी.2700 को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया। अतएव आरोपी उमाकान्त गौतम को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279 के अपराध के अंतर्गत दोषमुक्त किया जाता है।

9— आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

10— प्रकरण में जप्तशुदा वाहन सुमो क्रमांक-एम.पी.09/के.डी.2700 को सुपुर्ददार दिनेश विश्वकर्मा पिता रामप्रसाद, निवासी सतगांव, तहसील व जिला साजापुर म0प्र0 को सुपुर्दनामा पर प्रदान की गई है जो अपील अवधि पश्चात् उसके पक्ष में निरस्त समझी जावे अथवा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व  
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

बैहर  
दिनांक 20.07.2016

सही /—  
(श्रीष कौलाश शुक्ल)  
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,  
जिला-बालाघाट